



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276624
CG-DL-E-30092026-276624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 265]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/045/2026

विषय: "चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लाइसिन'" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/41/2026-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, एविड ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष "ग्लाइसिन" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु एक आवेदन दायर किया है।

2. वर्तमान आवेदन में चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच का अनुरोध किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य को संबद्ध देश के रूप में माना है।
3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को काफी अधिक क्षति पहुंच रही है तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "ग्लाइसिन" है।
5. ग्लाइसिन सामान्यतः एक सफेद, गंधहीन और स्वाद में मीठा पदार्थ होता है। अपने सूखे रूप में, जो कि इसका सामान्य विक्रय रूप है, यह नमक अथवा चीनी की तरह एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ग्लाइसिन का उत्पादन एवं विक्रय विभिन्न शुद्धताओं या ग्रेडों में किया जाता है तथा इसकी शुद्धता या ग्रेड के स्तर के आधार पर इसके कई व्यापारिक नाम हैं, मुख्य रूप से: कूड, औद्योगिक, तकनीकी-ग्रेड, फीड-ग्रेड, खाद्य-ग्रेड, ईपी ग्रेड या यूएसपी-ग्रेड और फार्मास्यूटिकल-ग्रेड (इंजेक्टेबल ग्रेड)। वर्तमान जांच के दायरे में सभी ग्रेडों का ग्लाइसिन शामिल है।
6. ग्लाइसिन सबसे छोटा और सरल गैर-आवश्यक अमीनो एसिड है, जो एक महत्वपूर्ण प्रोटीनोजेनिक निर्माण खंड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर तथा कोलेजन संश्लेषण में मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक रूप से इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने वाले, बफरिंग एजेंट, फार्मास्यूटिकल घटक और रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। ग्लाइसिन को बाजार में विभिन्न ग्रेडों में बेचा जाता है, जो कीमत के अतिरिक्त इसके अंतिम उपयोग को भी निर्धारित करता है।
7. ग्लाइसिन के विभिन्न ग्रेडों के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:
 - i) फार्मास्यूटिकल ग्रेड (इंजेक्टेबल ग्रेड): इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल यौगिकों के निर्माण में एक्सीपिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट ("एपीआई") के रूप में किया जाता है।
 - ii) यूएसपी/आईपी ग्रेड (जिसे खाद्य ग्रेड के रूप में भी जाना जाता है): इसे मानव उपभोग के उत्पादों, जैसे कि स्वीटनर या स्वाद वर्धक के रूप में उपयोग हेतु बेचा जाता है।
 - iii) तकनीकी ग्रेड : इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों, कृषि और रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में अनुप्रयोगों हेतु बेचा जाता है।
 - iv) फीड ग्रेड: इसका उपयोग पोल्ट्री, पशुधन और पालतू पशुओं के आहार में अमीनो एसिड पूरक के रूप में किया जाता है।
8. विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों में शुद्धता सहित लगभग समान विनिर्देशन होते हैं; यद्यपि, विभिन्न अनुप्रयोगों के प्रयोजनार्थ इनका विभेदक कारक किसी विशिष्ट उपयोग के लिए अतिरिक्त गुणवत्ता परीक्षण है। ये मानक बाध्यकारी या अनिवार्य नहीं हैं, किंतु कतिपय ग्रेडों के लिए अतिरिक्त परीक्षणों का प्रावधान करते हैं।

माप की इकाई

9. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (किग्रा.) है।

टैरिफ वर्गीकरण

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत, विशेष रूप से उप-शीर्ष 29224910 और 29224990 के तहत वर्गीकृत है। वर्तमान में यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत विभिन्न टैरिफ शीर्षों 29224910 और 29224990 के तहत आयात किया जाता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/टैरिफ मद के तहत भी

किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने अपने आवेदन में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

12. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही वस्तु के प्रथम दृष्टया समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

घ. जांच अवधि (पीओआई)

14. प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) की अवधि को वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (जिसे आगे "पीओआई" भी कहा गया है) के रूप में माना है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच अवधि शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

15. नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में संलग्न समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है; किंतु उन मामलों में जहां ऐसे उत्पादक कथित रूप से पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में "घरेलू उद्योग" शब्दों का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जाएगा।

16. यह आवेदन एविड ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन वस्तु का आयात नहीं किया है तथा वे संबद्ध देश के उत्पादकों एवं निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने बताया है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में उनका हिस्सा 66% है।
17. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादकों को अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार यह प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
19. आवेदक ने अनुरोध किया है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में कीमत अथवा लागत के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अतः, कच्चे माल और सुविधाओं की लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर अन्य विनिर्माण, सामान्य और प्रशासनिक अतिरिक्त खर्चों तथा उचित लाभ मार्जिन को जोड़कर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

20. आवेदक ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देश से विचाराधीन वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों को अपनाया गया है। इसमें समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा तथा अन्य संबंधित खर्चों के मद में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

22. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध देश से विचाराधीन आयातों की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के कारण कीमतों के न्यूनीकरण के साक्ष्य मौजूद हैं। इन आयातों का घरेलू उद्योग के प्रचालन संबंधी निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
23. उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश में मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, जो नियमावली के नियम 5 के तहत पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए न्यायोचित हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश में मूल अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन वस्तु के पाटन, विचाराधीन वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात्, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत, प्राधिकारी संबद्ध देश में मूल अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन

वस्तु के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने हेतु पाटनरोधी जांच की एतद्वारा शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

25. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना

26. आवेदक ने निम्नलिखित दावों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने का अनुरोध किया है:

क) संबद्ध देश से इस उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास रहा है।

ख) भारत में आयातक इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि निर्यातक भारत में विचाराधीन वस्तु का पाटन कर रहे हैं। आयातकों को यह भी ज्ञात है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से भारतीय उत्पादकों को क्षति होगी।

ग) निर्यातकों ने बड़े पैमाने पर पाटन का सहारा लिया है और जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन निरंतर काफी अधिक बना रहा है।

घ) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में तेजी से गिरावट आई है।

27. प्राधिकारी इस अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के अनुसार इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विचार/टिप्पणियां मांग सकते हैं।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्र और अभ्यावेदन उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु मामला पहचान संख्या—एडी/ओआई/045/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोधों का विवरणात्मक भाग पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में खोजे जाने योग्य हों।

29. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में विचाराधीन वस्तु से संबद्ध माने जाने वाले आयातकों तथा प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जाँच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जाँच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर इस जाँच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढंग से वर्तमान जांच से संबंधित अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले पक्षकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराए।

32. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नजर रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश भी दिया जाता है कि वे विचाराधीन जांच में होने वाली आगामी प्रगति से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य

जानकारियों के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) का नियमित अवलोकन करते रहें।

ठ. समय-सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी – एडी/ओआई/045/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए।
34. प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
35. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।
36. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15 दिनों की अवधि इस जाँच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 34 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
37. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी बाद की किसी अधिसूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जाँच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच की शुरुआत के बाद पीयूसी और पीसीएन कार्यपद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिनों के विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
38. समय-सीमा बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्दिष्ट मूल अंतिम तिथि से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

39. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
40. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
41. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

42. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
43. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
44. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
45. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।
46. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ण. असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

SETU Case ID – AD/OI/ 045/2026

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Glycine originating in or exported from China PR”.

1. **F. No. 6/41/2026-DGTR:** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), Avid Organics Private Limited (hereinafter also referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “**Glycine**” (hereinafter referred to as “subject good” or “product under consideration” or “PUC”).
2. The present Application sought anti-dumping investigation concerning imports of the subject good originating in or exported from **China PR**. Hence, the Authority has considered **China PR** as the subject country in the present investigation.
3. The applicant has alleged that dumped imports of the subject good from the subject Country are causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject good from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration in the present application is “**Glycine**”.
5. Glycine is a typically white material, odourless and sweet to the taste. In its dried form which is the form in which it is ordinarily sold, it is a free-flowing crystalline substance, like salt or sugar. Glycine is produced and sold in a variety of purity or grades and has multiple commercial names depending upon its level of purity or grade, in essence: crude, industrial, technical-grade, feed-grade, food-grade, EP grade or USP-grade and pharmaceutical-grade (injectable grade). The scope of the present investigation covers glycine of all grades.
6. Glycine is the smallest, simplest non-essential amino acid, functioning as a vital proteinogenic building block, inhibitory neurotransmitter in the central nervous system, and key component in collagen synthesis. Industrially, it is used as a flavour enhancer, buffering agent, pharmaceutical ingredient, and chemical intermediate. Glycine is sold in the market in different grades, ultimately determining the use case in addition to the price.
7. Applications of different grades of glycine are:
 - i) *Pharmaceutical grade (injectable grade) glycine is used either as an excipient or an active pharmaceutical ingredient (“API”) in manufacturing pharmaceutical compounds.*
 - ii) *USP/IP grade glycine (also known as food grade) is sold for usage in products for human consumption such as a sweetener or food enhancer.*
 - iii) *Technical grade glycine is sold for applications such as industrial applications, agriculture, and as a chemical intermediate.*
 - iv) *Feed grade glycine is used as an amino acid supplement in poultry, livestock and pet diets.*
8. The different grades of PUC have nearly similar specifications including purity, however for purposes of different applications the distinguishing factor is the additional quality testing for a specific use case. These standards are not binding or mandatory but provide for additional tests for certain grades.

Unit of measurement

9. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tonnes (MT) or Kilogram (Kg).

Tariff classification

10. The PUC is classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 specifically under the sub-headings 29224910 and 29224990. The product is presently imported under various tariff headings 29224910 and 29224990 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The applicant has also alleged the imports of PUC may be made under any other heading/tariff items. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
11. The applicant has not proposed any product control numbers (PCN) methodology in its application. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

12. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and that imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject good. The subject good and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject good and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

13. The subject Country in the present investigation is **China PR**.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

14. The Authority has considered the period from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI"). The injury investigation period shall cover the period of 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

15. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term domestic industry may be construed as referring to the rest of the producers"

16. The application has been filed by Avid Organics Pvt. Ltd. The applicant has submitted that they have not imported the subject good from the subject country and is not related to producers and exporters from the subject country. The applicant has submitted that their share in the total Indian production of the PUC during the POI is 66% .
17. As per the information available on record, the Authority considers that the Applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**a. Normal Value for China PR**

18. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the AD Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the AD Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject good in terms of Para 8(3) of Annexure I of the AD Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules.
19. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy in a third country. Therefore, Normal Value has been calculated by taking into account best available estimates of raw materials and cost of utilities with addition of other manufacturing and general and administrative overheads and reasonable profit margin.

b. Export Price

20. The applicant has determined the export price for the subject country by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the determining export price of subject good from subject country, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, and other expenses have been made.

c. Dumping Margin

21. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

22. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in absolute terms. There is evidence of price suppression due to imports. The subject imports have had an adverse impact on the operating performance of the domestic industry.
23. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject good originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

24. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

25. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTIES

26. The applicant has requested for retrospective imposition of the antidumping duty by claiming the following:
- a. There is clear history of dumping of the product from the subject country.
 - b. The importers in India are aware of the fact that exporters practice dumping of subject good into India. The importers are also aware that such a practice would cause injury to the Indian producers.
 - c. The exporters have resorted to massive dumping and dumping margin has remained significant during the period of investigation.
 - d. The performance of domestic industry has steeply declined over the period of investigation.

27. The Authority may seek the views/comments of the interested parties in this regard as per time limit given in the notification.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

28. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID no. No - AD/OI/045/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
29. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

30. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
31. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
32. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. TIME LIMIT

33. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/045/2026.
34. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
35. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
36. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 34 above of this Initiation Notification.
37. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
38. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

39. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
40. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
41. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
42. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

43. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
44. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
45. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
46. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

47. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. NON-COOPERATION

48. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority